

स्थानीय निकायों का गठन, निर्वाचन प्रणाली, कार्य एवं शक्तियों का अनुशीलन

डॉ. एस. पी. शुक्ला

शोध-निर्देशक, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

आशुतोष पाण्डेय

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान

शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश:-

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाइयों को एक पहचान मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास की पहली इकाई मानी गई है। गांव के लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। ग्राम सरपंच, उपसरपंच व सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है, इस शोध-पत्र के मुख्य बिन्दुओं अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : स्थानीय, निकायों, गठन, निर्वाचन, प्रणाली, कार्य, शक्तियों, अनुशीलन आदि।